

## उत्तर प्रदेश शासन

## श्रम अनुभाग-3

संख्या:- 963/XXXVI-03-2025-1792147

लखनऊ दिनांक 4-07, 2025

अधिसूचना

चूँकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-63 सन् 1948) की धारा 6 और धारा 112 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश कारखाना (पचहत्तरवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, सरकारी अधिसूचना संख्या-01/2025/609/छत्तीस-03-2025-1792147, दिनांक 23 अप्रैल, 2025 द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-63 सन् 1948) की धारा 115 के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिवस की अवधि के भीतर उसके संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि कोई आपत्ति या सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-63 सन् 1948) की धारा 6 और धारा 112 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश कारखाना (पचहत्तरवाँ संशोधन) नियमावली, 2025**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कारखाना (पचहत्तरवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।	
अनुसूची-दो का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है), में नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-दो के विद्यमान पैरा 3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा
	3. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला, किशोर या बालक को बाथ पर कार्य हेतु नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	3. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को बाथ पर कार्य करने के लिए नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 3क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी

	<p>सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बाथ पर काम करने के लिए नियोजित किया जा सकता है या कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है:-</p> <p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बाथ पर कार्य करने के लिए नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची-तीन का संशोधन	<p>3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची 3 के विद्यमान पैरा 3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्:</p> <table><tr><th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr><tr><td>3. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसे की प्रक्रिया में या किसी ऐसे कमरे में काम करने के लिए नियोजित या अनुमति नहीं दी जायेगी जहां सीसे के कच्चे ऑक्साइड का हेरफेर या चिपकाने का काम किया जाता है।</td><td>3. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी सीसे की प्रक्रिया में या किसी ऐसे कमरे में काम करने के लिए नियोजित या अनुमति नहीं दी जायेगी जिसमें सीसे के कच्चे ऑक्साइड के अभिचालन या चिपकाने का काम किया जाता है। 3क-महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किसी भी सीसा प्रक्रिया में</td></tr></table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	3. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसे की प्रक्रिया में या किसी ऐसे कमरे में काम करने के लिए नियोजित या अनुमति नहीं दी जायेगी जहां सीसे के कच्चे ऑक्साइड का हेरफेर या चिपकाने का काम किया जाता है।	3. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी सीसे की प्रक्रिया में या किसी ऐसे कमरे में काम करने के लिए नियोजित या अनुमति नहीं दी जायेगी जिसमें सीसे के कच्चे ऑक्साइड के अभिचालन या चिपकाने का काम किया जाता है। 3क-महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किसी भी सीसा प्रक्रिया में
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा				
3. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसे की प्रक्रिया में या किसी ऐसे कमरे में काम करने के लिए नियोजित या अनुमति नहीं दी जायेगी जहां सीसे के कच्चे ऑक्साइड का हेरफेर या चिपकाने का काम किया जाता है।	3. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी सीसे की प्रक्रिया में या किसी ऐसे कमरे में काम करने के लिए नियोजित या अनुमति नहीं दी जायेगी जिसमें सीसे के कच्चे ऑक्साइड के अभिचालन या चिपकाने का काम किया जाता है। 3क-महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किसी भी सीसा प्रक्रिया में				

54



	<p>या किसी ऐसे कमरे में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें सीसे के कच्चे ऑक्साइड के अभिचालन या चिपकाने का काम किया जाता है:-</p> <p>(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची-चार का संशोधन	<p>4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-चार के विद्यमान पैरा 4 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्:-</p> <table><tr><th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr><tr><td>4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां इस तरह के संचालन किये जाते हैं, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</td><td>4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी आपरेशन में या ग्लास ब्लोइंग पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां इस तरह के आपरेशन किये जाते हैं, में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी</td></tr></table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां इस तरह के संचालन किये जाते हैं, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी आपरेशन में या ग्लास ब्लोइंग पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां इस तरह के आपरेशन किये जाते हैं, में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा				
4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां इस तरह के संचालन किये जाते हैं, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी आपरेशन में या ग्लास ब्लोइंग पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां इस तरह के आपरेशन किये जाते हैं, में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी				

37

		<p>भी कार्य में तथा ग्लास ब्लोइंग पर या किसी ऐसे स्थान पर जहां ऐसे आपरेशन किए जाते हैं नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है:-</p> <p>(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची-छः का संशोधन	5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-छः के विद्यमान पैरा 4 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्:-	<table><tr><th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr><tr><td>4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</td><td>4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती</td></tr></table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा					
4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती					

34



		<p>है:-</p> <p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची-सात का संशोधन	6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-सात में विद्यमान पैरा 1 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्:-	<table> <tr> <th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th> <th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th> </tr> <tr> <td>1. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी इमारत में प्रवेश करने या काम करने या नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है।</td> <td> <p>1. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसी इमारत में नियोजित करने या काम करने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है।</p> <p>1क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसी इमारत में नियोजित करने या काम करने या प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है:-</p> <p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य</p> </td> </tr> </table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	1. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी इमारत में प्रवेश करने या काम करने या नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है।	<p>1. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसी इमारत में नियोजित करने या काम करने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है।</p> <p>1क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसी इमारत में नियोजित करने या काम करने या प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है:-</p> <p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य</p>
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा					
1. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी इमारत में प्रवेश करने या काम करने या नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है।	<p>1. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसी इमारत में नियोजित करने या काम करने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है।</p> <p>1क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसी इमारत में नियोजित करने या काम करने या प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है:-</p> <p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य</p>					

24

		<p>(ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची-आठ का संशोधन	7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गई अनुसूची-आठ के पैरा 2 के विद्यमान दूसरे परंतुक के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:-	<table><tr><th>स्तम्भ-एक विद्यमान परन्तुक</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक</th></tr><tr><td>आगे यह भी प्रावधान है कि किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को रेत-विस्फोटन के किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</td><td>परंतु यह और कि किसी भी किशोर अथवा बालक को रेत-विस्फोटन के किसी भी प्रचालन में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</td></tr></table>	स्तम्भ-एक विद्यमान परन्तुक	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक	आगे यह भी प्रावधान है कि किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को रेत-विस्फोटन के किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	परंतु यह और कि किसी भी किशोर अथवा बालक को रेत-विस्फोटन के किसी भी प्रचालन में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्तम्भ-एक विद्यमान परन्तुक	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक					
आगे यह भी प्रावधान है कि किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को रेत-विस्फोटन के किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	परंतु यह और कि किसी भी किशोर अथवा बालक को रेत-विस्फोटन के किसी भी प्रचालन में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।					
	8- उक्त नियमावली में, अनुसूची आठ में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा 2क जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-	<table><tr><td>नया पैरा 2-क का जोड़ा जाना</td><td>महिलाओं के नियोजन की शर्तें- महिला कर्मकारों को रेत विस्फोटन के किसी भी कार्य में उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकता है या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-  (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा</td></tr></table>	नया पैरा 2-क का जोड़ा जाना	महिलाओं के नियोजन की शर्तें- महिला कर्मकारों को रेत विस्फोटन के किसी भी कार्य में उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकता है या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-  (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा		
नया पैरा 2-क का जोड़ा जाना	महिलाओं के नियोजन की शर्तें- महिला कर्मकारों को रेत विस्फोटन के किसी भी कार्य में उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकता है या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-  (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा					

5




		<p>मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची-दस का संशोधन	9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-दस में विद्यमान पैरा 4 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्:-	<table><tr><th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr><tr><td>4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसा प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</td><td>4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी सीसा प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी सीसा प्रक्रिया में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:- (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा। (3) गर्भवती और स्तनपान कराने</td></tr></table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसा प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी सीसा प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी सीसा प्रक्रिया में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:- (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा। (3) गर्भवती और स्तनपान कराने
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा					
4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसा प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी सीसा प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी सीसा प्रक्रिया में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:- (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा। (3) गर्भवती और स्तनपान कराने					

54



		वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अनुसूची-बारह का संशोधन	10. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-बारह भाग 2 के विद्यमान पैरा 6 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्: -	
	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा
	6. युवा व्यक्तियों और महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध- (क) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति और महिलाओं को किसी भी ऐसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित कार्यों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड धुएं या अमोनिकल वाष्प निकलते हैं- (i) खुले पैन में नमकीन पानी का वाष्पीकरण; (ii) नमक का स्टोविंग; (iii) भट्ठी पर काम करना जहां जस्ता का उपचार किया जाता है; और (iv) कार्य कक्षों की सफाई जहां (iii) में उल्लिखित प्रक्रिया की जाती है। (ख) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को क्रोम प्रक्रिया या नाइट्रो या एमिनो प्रक्रिया में या ऐसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है या जहां ऐसी सामग्री का वाष्प निकलता है:	6. युवा व्यक्तियों के नियोजन पर निर्बंधन। (क) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के धुएं या अमोनिकल वाष्प निम्नलिखित प्रचालनों से निकलते हैं - (एक) खुले बर्तनों में नमकीन पानी का वाष्पीकरण; (दो) नमक को जलाना; (तीन) ऐसी भट्ठी पर काम करना जहां जस्ता का उपचार किया जाता है; और (चार) ऐसे कार्य कक्षों की सफाई करना जहां (iii) में उल्लिखित प्रक्रिया की जाती है। परन्तु यह कि महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए नियोजित किया जा सकता है: - (1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।





	<p>कार्बन बाइसल्फाइड, सल्फर के क्लोराइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोरोथलीन, कोई भी कार्बन क्लोराइड यौगिक, या प्रत्येक सामग्री में से किसी भी मिश्रण।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>(ख) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को क्रोम प्रक्रिया या नाइट्रो या एमिनो प्रक्रिया या ऐसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है या जहां ऐसी सामग्री का वाष्प छोड़ा जाता है: कार्बन बाइसल्फाइड, सल्फर के क्लोराइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोरोथलीन, कोई भी कार्बन क्लोराइड यौगिक, या इनमें से किसी भी सामग्री से युक्त कोई मिश्रण।</p>				
अनुसूची-तेरह का संशोधन	<p>11. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-तेरह के विद्यमान पैरा 8 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्: -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी कमरे में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियायें की जाती हैं।</td><td>8. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कमरे में नियोजित नहीं किया जायेगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियायें की जाती हैं। 8क-महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को किसी भी कमरे</td></tr> </tbody> </table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	8. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी कमरे में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियायें की जाती हैं।	8. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कमरे में नियोजित नहीं किया जायेगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियायें की जाती हैं। 8क-महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को किसी भी कमरे
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा				
8. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी कमरे में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियायें की जाती हैं।	8. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कमरे में नियोजित नहीं किया जायेगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियायें की जाती हैं। 8क-महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को किसी भी कमरे				

		<p>में, जिसमें उक्त प्रक्रियाएं की जाती हैं। उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन नियोजित किया जा सकता है या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-</p> <p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची- चौदह का संशोधन	12. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-चौदह के विद्यमान पैरा 6 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्: -	<table><tr><th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr><tr><td>6. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध.- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें बैजीन या बैजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आना शामिल हो।</td><td>6. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कार्य कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें बैजीन या बैजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आना शामिल हो।  6क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन किसी ऐसे कार्य कक्ष में</td></tr></table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	6. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध.- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें बैजीन या बैजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आना शामिल हो।	6. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कार्य कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें बैजीन या बैजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आना शामिल हो।  6क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन किसी ऐसे कार्य कक्ष में
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा					
6. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध.- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें बैजीन या बैजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आना शामिल हो।	6. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कार्य कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें बैजीन या बैजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आना शामिल हो।  6क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन किसी ऐसे कार्य कक्ष में					

54



		<p>काम करने के लिए नियोजित या काम करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें बेजीन या बेजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आना सम्मिलित हो:</p> <p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/ स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाध पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची-बीस का संशोधन	13. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची- बीस के विद्यमान पैरा 15 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्: -	<table><tr><th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr><tr><td>15. महिलाओं और युवा व्यक्तियों का रोजगार.- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को विलायक निष्कर्षण संयंत्र में नियोजित नहीं किया जाएगा।</td><td>15. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- विलायक निष्कर्षण संयंत्र में किसी किशोर या बच्चे को नियोजित नहीं किया जाएगा। 15क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- विलायक निष्कर्षण संयंत्र में महिला कर्मकारों या युवा व्यक्तियों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकता है:-</td></tr></table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	15. महिलाओं और युवा व्यक्तियों का रोजगार.- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को विलायक निष्कर्षण संयंत्र में नियोजित नहीं किया जाएगा।	15. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- विलायक निष्कर्षण संयंत्र में किसी किशोर या बच्चे को नियोजित नहीं किया जाएगा। 15क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- विलायक निष्कर्षण संयंत्र में महिला कर्मकारों या युवा व्यक्तियों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकता है:-
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा					
15. महिलाओं और युवा व्यक्तियों का रोजगार.- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को विलायक निष्कर्षण संयंत्र में नियोजित नहीं किया जाएगा।	15. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- विलायक निष्कर्षण संयंत्र में किसी किशोर या बच्चे को नियोजित नहीं किया जाएगा। 15क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- विलायक निष्कर्षण संयंत्र में महिला कर्मकारों या युवा व्यक्तियों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकता है:-					

59

		<p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची-इक्कीस का संशोधन	14. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-इक्कीस के विद्यमान पैरा 6 के स्थान पर स्तम्भ- दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्: -	<table><tr><th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr><tr><td>6. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</td><td>6. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।  6क- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित किया जा सकता है या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-  (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय</td></tr></table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	6. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	6. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।  6क- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित किया जा सकता है या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-  (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा					
6. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	6. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।  6क- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित किया जा सकता है या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-  (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय					

54




		<p>सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>				
अनुसूची- बाइस का संशोधन	<p>15. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-बाइस के विद्यमान पैरा 5 के स्थान पर स्तम्भ-दो दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्:-</p> <table border="1"> <tr> <th>स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा</th><th>स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा</th></tr> <tr> <td> <p>5. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को ऐसे किसी भी कमरे में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या ऐसे किसी भी कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत किया जाता है।</p> </td><td> <p>5. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कमरे में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत है।</p> <p>5क-महिलाओं के नियोजन की शर्त:-</p> <p>महिला कर्मकारों को किसी ऐसे कमरे में उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत है:-</p> </td></tr> </table>	स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	<p>5. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को ऐसे किसी भी कमरे में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या ऐसे किसी भी कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत किया जाता है।</p>	<p>5. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कमरे में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत है।</p> <p>5क-महिलाओं के नियोजन की शर्त:-</p> <p>महिला कर्मकारों को किसी ऐसे कमरे में उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत है:-</p>	
स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा					
<p>5. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को ऐसे किसी भी कमरे में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या ऐसे किसी भी कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत किया जाता है।</p>	<p>5. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कमरे में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत है।</p> <p>5क-महिलाओं के नियोजन की शर्त:-</p> <p>महिला कर्मकारों को किसी ऐसे कमरे में उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत है:-</p>					

57

		<p>(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।</p> <p>(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
--	--	---

आज्ञा से,



( डा० एम०के० शन्मुगा सुन्दरम् )  
प्रमुख सचिव।



संख्या:- 963 (1)/36-03-2025-1792147 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 04 जुलाई, 2025 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4(खण्ड-क) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 500 प्रतियाँ श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय लखनऊ एवं 100 प्रतियाँ कार्यालय श्रम आयुक्त, उ०प्र०, जी०टी०रोड, कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- श्रम आयुक्त, उ०प्र०/निदेशक कारखाना, उ०प्र० कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की गजट प्रति संरक्षित करते हुए विभागीय पोर्टल/वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
Digitally signed by  
GIRIJA PATI DWIVEDI  
Date: 04-07-2025  
( गिरिजापति द्विवेदी )  
संयुक्त सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan  
Shram Anubhag-3**

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. **963** /XXXVI-03-2025-1792147 dated **4/7/2025**

**Notification**

No. **963** /XXXVI-03-2025-1792147

Lucknow ; Dated **4-7**, 2025


WHEREAS the Uttar Pradesh Factories (Seventy-Fifth Amendment) Rules, 2025 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under Sections 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) was published in the official Gazette vide Notification no. 01/2025/609/XXXVI-03-2025-1792147 dated April 23, 2025 as required under Section 115 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) inviting objections and suggestions in respect thereof within a period of forty-five days from the date of publication of the said Notification in the Gazette;

AND WHEREAS no objection or suggestion have been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sections 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amend the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950:

**THE UTTAR PRADESH FACTORIES (SEVENTY-FIFTH  
AMENDMENT) RULES, 2025**

Short title and commencement	<b>1-</b> (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Factories (Seventy-Fifth Amendment) Rules, 2025.  (2) They shall come into force with effect from the date at their publication in the Official Gazette.	
Amendment of Schedule II	<b>2-</b> In the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 (hereinafter referred to as the 'said rules') for the existing paragraph 3 of Schedule II set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely :-	
	Column-I Existing paragraph	Column-II Paragraph as hereby substituted
	3. Prohibition relating to	3. Prohibition relating to young






	<p>women and young persons—No young person shall be employed or permitted to work at a bath.</p> <p>adolescent or child shall be employed or permitted to work at a bath.</p> <p><b>3-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b>          Women workers may be employed or permitted to work at a bath with their consent to work subject to the following conditions :-          (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).          (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.          (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.</p>				
Amendment of Schedule III	<p>3- In the said Rules, for the existing paragraph 3 of Schedule III set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i>, namely :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Column-I <i>Existing paragraph</i></th><th>Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Prohibition relating to women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on.</td><td>3. Prohibition relating to young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on.  <b>3-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b>            Women workers may be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on with their consent to work subject to the following conditions :-</td></tr> </tbody> </table>	Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>	3. Prohibition relating to women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on.	3. Prohibition relating to young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on.  <b>3-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on with their consent to work subject to the following conditions :-
Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>				
3. Prohibition relating to women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on.	3. Prohibition relating to young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on.  <b>3-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on with their consent to work subject to the following conditions :-				

27



	<p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.</p> <p>(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.</p>						
Amendment of Schedule IV	<p>4- In the said Rules, for the existing paragraph 4 of Schedule IV set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i>, namely :-</p> <table><tr><th>Column-I <i>Existing paragraph</i></th><th>Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i></th></tr><tr><td>4. Prohibition relating to women and young persons- No woman or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on.</td><td>4. Prohibition relating to young persons- No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on.</td></tr><tr><td></td><td><p><b>4-A                      CONDITION                      OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b></p><p>Women workers may be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on with their consent to work subject to the following conditions :-</p><p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p><p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time</p></td></tr></table>	Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>	4. Prohibition relating to women and young persons- No woman or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on.	4. Prohibition relating to young persons- No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on.		<p><b>4-A                      CONDITION                      OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b></p> <p>Women workers may be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on with their consent to work subject to the following conditions :-</p> <p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time</p>
Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>						
4. Prohibition relating to women and young persons- No woman or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on.	4. Prohibition relating to young persons- No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on.						
	<p><b>4-A                      CONDITION                      OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b></p> <p>Women workers may be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on with their consent to work subject to the following conditions :-</p> <p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time</p>						

5





		and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
Amendment of Schedule VI	5- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 4 of Schedule VI set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely :-	
	Column-I Existing paragraph	Column-II Paragraph <i>as hereby substituted</i>
	4. Prohibition relating to women and young persons— No woman or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3.	4. Prohibition relating to young persons— No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3.  <b>4-A                      CONDITION                      OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 with their consent to work subject to the following conditions :- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH). (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
Amendment of Schedule VII	6- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 1 of Schedule VII set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely :-	
	Column-I Existing paragraph	Column-II Paragraph <i>as hereby substituted</i>
	1. Prohibition relating to	1. Prohibition relating to young

54



women and young persons- persons - No young person shall be employed or permitted to work in or shall be employed or shall be allowed to enter any building in which the generation of gas from dangerous petroleum is carried on.

**1-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-**

Women workers may be employed or permitted to work in or shall be allowed to enter any building in which the generation of gas from dangerous petroleum is carried on with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.

Amendment of Schedule VIII 7- In the said Rules, for the existing second proviso of paragraph of Schedule VIII set out in Column-I below, the proviso as set out in Column II shall be *substituted*, namely :

Column-I <i>Existing proviso</i>	Column-II <i>Proviso as hereby substituted</i>
Provided further that no woman or young person shall be employed or permitted to work at any operation of sand blasting.	Provided further that no young person shall be employed or permitted to work at any operation of sand blasting.

8- In the said Rules, in Schedule VIII, after paragraph 2, the following paragraph 2-A shall, be inserted, namely :-

Insertion of New	<b>2-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or permitted to work at any operation of sand blasting
------------------	---

5



	paragraph 2-A	with their consent to work subject to the following conditions :- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH). (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
Amendment of Schedule X	9- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 4 of Schedule X set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely :-	
	Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>
	4. Prohibition relating to women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any lead process.	4. Prohibition relating to young persons— No young person shall be employed or permitted to work in any lead process. <b>4-A                      CONDITION                      OF                      EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or permitted to work in any lead process with their consent to work subject to the following conditions :- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH). (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
Amendment of Schedule XII	10- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 6 of Part II of Schedule XII set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely :-	
	Column-I	Column-II

57



<i>Existing paragraph</i>	<i>Paragraph as hereby substituted</i>
<p>6. Restrictions on the employment of young persons and women—</p> <p>(a) No person under 18 years of age and women shall neither be employed in any process in which hydrochloric acid fumes or ammonical vapours are given off from the following operations—</p> <p>(i) evaporation of brine in open pans;</p> <p>(ii) stoving of salt;</p> <p>(iii) work at a furnace where the treatment of zinc is carried on; and</p> <p>(iv) the cleaning of work rooms where the process mentioned in (iii) is carried on.</p> <p>(b) No person under 18 years of age shall be employed in a chrome process or in nitro or amino process or in a process in which the following materials are used or where the vapour of such material is given off:</p> <p>Carbon bisulphide, chlorides of sulphur, benzene, carbon tetrachloride trichlorathlene, any carbon chloride compound, or any mixture containing any of each materials.</p>	<p>6. Restrictions on the employment of young persons —</p> <p>(a) No person under 18 years of age shall neither be employed in any process in which hydrochloric acid fumes or ammonical vapours are given off from the following operations—</p> <p>(i) evaporation of brine in open pans;</p> <p>(ii) stoving of salt;</p> <p>(iii) work at a furnace where the treatment of zinc is carried on; and</p> <p>(iv) the cleaning of work rooms where the process mentioned in (iii) is carried on.</p> <p>Provided that women workers may be employed with their consent to work subjected to the following conditions :-</p> <p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.</p> <p>(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.</p> <p>(b) No person under 18 years of age shall be employed in a chrome process or in nitro or amino process or in a process in which the following materials are used or where the vapour of such</p>

5




		material is given off: Carbon bisulphide, chlorides of sulphur, benzene, carbon tetrachloride trichlorathlene, any carbon chloride compound, or any mixture containing any of each materials.
Amendment of Schedule XIII	<b>11-</b> In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 8 of Schedule XIII set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely :-	
	Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>
	8. Prohibition relating to employment of women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on.	8. Prohibition relating to employment of young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on.  <b>8-A            CONDITION            OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on with their consent to work subject to the following conditions :- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH). (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
Amendment of Schedule XIV	<b>12-</b> In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 6 of Schedule XIV set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely :-	
	Column-I	Column-II

57



		Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted
		6. Prohibition relating to employment of women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any workroom involving exposure to benzene or substances containing benzene.	6. Prohibition relating to employment of young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any workroom involving exposure to benzene or substances containing benzene.  <b>6-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or permitted to work in any workroom involving exposure to benzene or substances containing benzene with their consent to work subject to the following conditions :- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH). (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
Amendment of Schedule XX	13- In the said Rules, for the existing paragraph 15 of Schedule XX set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be substituted, namely :-		
	Column-I	Column-II	
	Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted	
	15. Employment of women and young persons—No woman or young person shall be employed in the solvent extraction plant.	15. Employment of young persons—No young person shall be employed in the solvent extraction plant.  <b>15-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or young person may be employed in the solvent extraction plant with their consent to work subject to the following	






	<p>conditions :-</p> <p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.</p> <p>(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.</p>				
Amendment of Schedule XXI	<p><b>14-</b> In the said Rules, for the existing paragraph 6 of Schedule XXI set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i>, namely :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Column-I <i>Existing paragraph</i></th><th>Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Prohibition relating to women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any manganese process.</td><td> <p>6. Prohibition relating to young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any manganese process.</p> <p><b>6-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b></p> <p>Women workers may be employed or permitted to work in any manganese process with their consent to work subject to the following conditions :-</p> <p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.</p> <p>(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.</p> </td></tr> </tbody> </table>	Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>	6. Prohibition relating to women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any manganese process.	<p>6. Prohibition relating to young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any manganese process.</p> <p><b>6-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b></p> <p>Women workers may be employed or permitted to work in any manganese process with their consent to work subject to the following conditions :-</p> <p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.</p> <p>(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.</p>
Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>				
6. Prohibition relating to women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any manganese process.	<p>6. Prohibition relating to young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any manganese process.</p> <p><b>6-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b></p> <p>Women workers may be employed or permitted to work in any manganese process with their consent to work subject to the following conditions :-</p> <p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.</p> <p>(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.</p>				
Amendment of Schedule XXII	<p><b>15-</b> In the said Rules, for the existing paragraph 5 of Schedule XXII set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i>, namely :-</p>				

57



Column-I <i>Existing paragraph</i>	Column-II <i>Paragraph as hereby substituted</i>
5. Prohibition relating to employment of women or young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process is carried on or in any room in which dangerous pesticide is stored.	5. Prohibition relating to employment of young persons—No young person shall be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process is carried on or in any room in which dangerous pesticide is stored.  <b>5-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-</b> Women workers may be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process is carried on or in any room in which dangerous pesticide is stored with their consent to work subject to the following conditions :- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH). (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.

By order,

  
( Dr. M.K. Shanmuga Sundaram )

Principal Secretary